

F.No.36035/3/2009-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
North Block

New Delhi, dated 10th June, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Benefit of reservation to persons with disability who acquire disability after entering into Govt. service.

The undersigned is directed to say that various Ministries/Departments have been seeking clarification whether a person who acquires disability after entering into Govt. service shall get the benefit of reservation in services as provided in this Department's OM No.36035/3/2004-Estt.(Res.) dated 29.12.2005.

2. It is hereby clarified that the OM dated 29.12.2005 does not make any distinction between persons acquiring disability before or after entering into service. An employee who acquires disability after entering into service will be entitled to get the benefit of reservation as a person with disability as provided in the instructions contained in the above referred OM from the date he produces a valid certificate of disability.

3. All Ministries/Departments etc. are requested to bring it to the notice of all establishments under their control.



(Krishan Gopal Verma)
Director

To

2309 2158

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi
5. Railway Board.

6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Office of the Chief Commissioner for Disabilities, Sarojini House, 6, Bhagwan Das Road, New Delhi – 110001.
9. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
10. All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and all attached/subordinate offices of this Ministry.
11. Information and Facilitation Centre, DoPT, North Block, New Delhi.
12. 100 spare copies for Estt.(Res.) Desk.

फा.सं. 36035/3/2009-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2009


कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद अशक्तता से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद अशक्तता से ग्रस्त हो जाता है, इस विभाग के दिनांक 29.12.2005 के का.ज्ञा.सं. 36035/3/2004-स्था(आरक्षण) के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं ।

2. एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 29.12.2005 का का.ज्ञा. सेवा में आने से पहले अशक्तता से ग्रस्त हुए व्यक्ति और सेवा में आने के बाद अशक्तता से ग्रस्त हुए व्यक्ति में कोई भेद नहीं करता । यदि कोई कर्मचारी सेवा में आने के बाद अशक्तता से ग्रस्त हो जाता है तो उसे उपर्युक्त संदर्भित का.ज्ञा. में निहित अनुदेशों के अनुसार उस तारीख से अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिस तारीख को वह अशक्तता का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इस ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी संस्थापनाओं के ध्यान में ला दें ।



(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

2309 2158

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।

3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सर्तकता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ.काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
8. मुख्य आयुक्त, अशक्तताएं का कार्यालय, सरोजनी हाऊस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110001.
9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
11. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
12. स्था.(आरक्षण) डेस्क के लिए 100 अतिरिक्त प्रतियां ।